सामान्य निर्देश

1. रोस्टर का ध्यान रखते हुए पदों की संख्या में कमी या वृद्वि की जा सकती है।

2. वेतन श्रृखला एवं ग्रेड पे राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तनशाल होगी।

3. निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क निम्न प्रकार होगाः

(अ) अनारक्षित श्रेणी एवं अ.पि.व. वर्ग के क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थी : रू. 500/–

(ब) राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अ.पि.व. वर्ग के अभ्यर्थी : रू. 300/–

(स) राजस्थान के विशेष योग्य जन/अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थी : रू. 100/–

4. **आयुः** अभ्यर्थी की आयु आवेदन प्राप्ति की अन्तिम दिनांक को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों/वर्गो के लिये वर्गवार देय छूट के सामान्य प्रावधान निम्नाकिंत हैं–

क्र.स.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष		5
2	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3	सामान्य वर्ग की महिला		5
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह(परित्यक्ता)		कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं
5	विशेष योग्य जन	सामान्य	10
		पिछड़ा	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

उपरोक्त समस्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cummulative) हैं।

5. राज्य सरकार व राजस्थान राज्य में स्थित सरकारी विश्वविधालयों में सेवारत कार्मिकों के लिये सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

6.पृथक पृथक पद हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।

7. राजस्थान राज्य के मूल निवासी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार की नीति के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जावेगा। अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर उद्देश्यार्थ साक्षात्कार होने के छ महीने पहले का वैध जाति/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदान किया जावेगा।

9. विशेष योग्य जन को आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमों के अनुरूप प्रदान किया जावेगा।

10. राजस्थान राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों , भूतपूर्व सैनिको एवं उत्कृष्ट खिलाडियों को राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जावेगा।

11. विज्ञापित किसी भी पद अथवा सभी पदों को न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

12. अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ताऐं धारण करने से ही किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है। फार्म मैनेजर/तकनीकी सहायक/प्रोग्राम सहायक/ प्रोग्राम सहायक (कम्प्यूटर) के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, पदों की संख्या को देखते हुए यदि बहुत अधिक है और विश्वविद्यालय के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेना सुविधाजनक या सम्भव न हो तो विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वों ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की छंटनी (स्क्रीनिगं) उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा आदि के द्वारा कर सकता है।

13. आशुलिपिक, आशुलिपिक ग्रेड–3 प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, क्लर्क ग्रेड–2, सूचना सहायक, विधि सहायक एवं मेट्रन का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के अनुसार होगा। परीक्षा तिथि व पाठयक्रम विश्वविधालय की वेबसाइट पर सूचित किया जायेगा।

14. पेंशन एवं अन्य भत्ते विश्वविद्यालय के समय समय पर संशोधित नियमानुसार देय होगें।

15. 1.1.2004 या उसके पश्चात नियुक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के द्वारा समय–समय पर संशोधित नियमों के अनुसार नयी पेशन स्कीम के अनुसार पेंशन देय होगी एवं इस संबंध में अन्य नियम एफ 13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 6.5.2004 के आदेश के अनुसार लागू होगें।

16. चयनित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जावेगा। इस अवधि में उसे राज्य सरकार के नियमानुसार स्थिर मानदेय देय होगा। परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान देय होगा।

17. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोत्तरी नहीं होती। परन्तु यह और कि जहॉ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर

प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है। वहॉ बच्चों की संख्या की कुल गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन लागू होगे।

18. लिफाफे पर मोटे अक्षरों से ''............... पद हेतु आवेदन पत्र'' अंकित होना चाहिए।

19. योजना/स्कीम के पद योजना /स्कीम के समाप्त होने के साथ स्वतः समाप्त माने जावेगें।

20. योग्यता, जाति एवं अन्य सम्बंधित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें तथा संलग्न प्रतियों की संख्या भी लिखें। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियॉ स्वीकार नहीं की जायेगी।

21. सेवारत अभ्यर्थी अपना आवेदन उचित माध्यम द्वारा भिजवाऐं विलम्ब से बचने के लिए अन्तिम तिथि से पहले आवेदन की अग्रिम प्रति भिजवा सकतें है।

22. किसी भी परीक्षा में सम्मलित होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

23. विज्ञापन से सम्बन्धित कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.sknau.ac.in) पर ही अपलोड किया जायेगा।

(भागीरथ शर्मा)
कुलसचिव